संख्या - 004/वी.जी.एल/26
भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023
दिनांक: 17.05.2004

परिपत्र संख्या 33/5/2004

विषय: लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण पर भारत सरकार का संकल्प ।

भारत सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के किसी आरोप का प्रकटीकरण करने वाले अथवा पद के दुरूपयोग किए जाने की लिखित शिकायतें प्राप्त करने तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए "नामित अभिकरण" के रूप में प्राधिकृत किया है ।

2. उपर्युक्त संकल्प के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना की प्रति संलग्न है । इस संकल्प के अंतर्गत आयोग द्वारा भेजी गई शिकायतों के संबंध में सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों को निम्नलिखित कार्रवाईयां करने की आवश्यकता है:

(i) शिकायत में उठाए गए मामले के संबंध में सभी सम्बद्ध दस्तावेज मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाने चाहिए तथा शिकायत में अन्वेषण तत्काल प्रारम्भ कर देना चाहिए । आयोग को अन्वेषण रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कर दी जाए ।

(ii) मुख्य सतर्कता अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समझे गए कारणों पर / 'पर्दाफाश' होने का संदेह होने से किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए ।

(iii) आयोग के निर्देशों की प्राप्ति के अनुवर्ती, ऐसी शिकायतों पर आधारित किसी अनुशासनिक कार्रवाई को करने के लिए, मुख्य सतर्कता अधिकारी को अनुवर्तन करना है तथा अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आगे की कार्रवाई के अनुपालन की पुष्टि करना है तथा आयोग को विलंब की सूचना देना है, यदि कोई है तो ।

(iv) यह आदेश सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के ध्यान में लाएं ।

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी उपर्युक्त निदेशों को अनुपालन के लिए नोट करें ।

ह0/-

(सुजीत बनर्जी)
सचिव

सेवा में

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

प्रेस प्रकाशन

भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप अथवा पद के दुरुपयोग को प्रकट किए जाने सम्बन्धी लिखित शिकायतें प्राप्त करने तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए भारत सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग को एक 'अभिहित अभिकरण' के रूप में प्राधिकृत किया है ।

2. इस सम्बन्ध में आयोग की अधिकारिता केन्द्रीय सरकार के किसी कर्मचारी अथवा किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा अथवा इसके अन्तर्गत स्थापित निगमों, सरकारी कम्पनी, समितियों अथवा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारियों तक सीमित होगी । **राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त कर्मचारी तथा राज्य सरकारों अथवा इसके निगमों आदि के क्रियाकलाप आयोग की अधिकारिता के अन्तर्गत नहीं आऐगें ।**

3. इस संबंध में, आयोग जोकि ये शिकायतें प्राप्त करेगा, की जिम्मेवारी है कि यह शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखेगा । अतः, **जनसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि इस संकल्प के अन्तर्गत की जाने वाली कोई भी शिकायत निम्नलिखित पहलुओं का अनुपालन करते हुए दी जानी चाहिए ।**

(i) शिकायत एक **बन्द/सुरक्षित लिफाफे** में होनी चाहिए ।

(ii) लिफाफा सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के नाम होना चाहिए तथा उसके उपर **"जनहित प्रकटीकरण के अन्तर्गत शिकायत" लिखा होना** चाहिए यदि लिफाफे के उपर ऐसा नहीं लिखा जाता है तथा लिफाफे को बन्द नहीं किया जाता है तो आयोग के लिए यह संभव नहीं है कि यह उपर्युक्त संकल्प के अन्तर्गत शिकायतकर्ता की रक्षा कर सके तथा ऐसी शिकायत पर आयोग की सामान्य शिकायत नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी । शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के आरंभ अथवा अंत में या एक संलग्न पत्र में अपना नाम तथा पता दिया जाना चाहिए ।

(iii) आयोग **अनाम/छद्मनाम** शिकायतों **पर कार्रवाई नहीं करता** है ।

(iv) शिकायत का पाठ सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए ताकि इससे **शिकायतकर्ता की पहचान के बारे में कोई विवरण अथवा सुराग न मिल** सके । तथापि, शिकायत का विवरण सुस्पष्ट तथा सत्यापनीय होना चाहिए ।

(v) व्यक्ति की पहचान सुरक्षित रखने के उद्देश्य से आयोग कोई पावती जारी नहीं करेगा तथा शिकायतकर्ताओं को **सलाह दी जाती है** कि वे स्वयं अपने हित में आयोग से **आगे कोई पत्राचार न करें** । आयोग ये विश्वास दिलाता है कि, यदि मामले के तथ्य सत्यापनीय है, यह आवश्यक कार्रवाई करेगा जैसा कि भारत सरकार के उपर्युक्त वर्णित संकल्प में प्रावधान किया गया है । यदि इससे आगे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी तो आयोग, शिकायतकर्ता से सम्पर्क करेगा ।

4. इस संकल्प के अन्तर्गत आयोग, सोद्देश्य/तंग करने वाली शिकायतें देने वाले शिकायतकर्ताओं के विरूद्ध भी कार्रवाई कर सकता है ।

5. विस्तृत अधिसूचना की एक प्रति आयोग की वेबसाईट एचटीटीपी.//डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीवीसी.एनआईसी.आईएन पर उपलब्ध है ।

सार्वजनिक सूचना

लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण पर भारत सरकार का संकल्प ।

भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप अथवा पद के दुरूपयोग को प्रकट किए जाने सम्बन्धी लिखित शिकायतें प्राप्त करने तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए भारत सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग को एक 'अभिहित अभिकरण' के रूप में प्राधिकृत किया है ।

2 इस सम्बन्ध में आयोग की अधिकारिता केन्द्रीय सरकार के किसी कर्मचारी अथवा किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा अथवा इसके अन्तर्गत स्थापित निगमों, सरकारी कम्पनी, समितियों अथवा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा नियत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारियों तक सीमित होगी । **राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त कर्मचारी तथा राज्य सरकारों अथवा इसके निगमों आदि के क्रियाकलाप आयोग की अधिकारिता के अन्तर्गत नहीं आऐगें ।**

3 इस संबध मे, आयोग जोकि ये शिकायतें प्राप्त करेगा, की जिम्मेवारी है कि यह शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखेगा । **अत:, जनसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि इस संकल्प के अन्तर्गत की जाने वाली कोई भी शिकायत निम्नलिखित पहलुओं का अनुपालन करते हुए दी जानी चाहिए ।**

(i) शिकायत एक **बन्द/सुरक्षित लिफाफे** में होनी चाहिए ।

(ii) लिफाफा सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के नाम होना चाहिए तथा उसके उपर **"जनहित प्रकटीकरण के अन्तर्गत शिकायत" लिखा होना** चाहिए यदि लिफाफे के उपर ऐसा नहीं लिखा जाता है तथा लिफाफे को बन्द नहीं किया जाता है तो आयोग के लिए यह सभव नहीं है कि यह उपर्युक्त सकल्प के अन्तर्गत शिकायतकर्ता की रक्षा कर सके तथा ऐसी शिकायत पर आयोग की सामान्य शिकायत नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी । शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के आरंभ अथवा अंत में या एक सलग्न पत्र में अपना नाम तथा पता दिया जाना चाहिए ।

(iii) आयोग **अनाम/छद्मनाम** शिकायतों **पर कार्रवाई नहीं करता** है ।

(iv) शिकायत का पाठ सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए ताकि इससे **शिकायतकर्ता की पहचान के बारे में कोई विवरण अथवा सुराग न मिल सके** । तथापि, शिकायत का विवरण सुस्पष्ट तथा सत्यापनीय होना चाहिए ।

(v) व्यक्ति की पहचान सुरक्षित रखने के उद्देश्य से आयोग कोई पावती जारी नहीं करेगा तथा शिकायतकर्ताओं को **सलाह दी जाती है** कि वे स्वय अपने हित में आयोग से **आगे कोई पत्राचार न करें** । आयोग ये विश्वास दिलाता है कि, यदि मामले के तथ्य सत्यापनीय है, यह आवश्यक कार्रवाई करेगा जैसा कि भारत सरकार के उपर्युक्त वर्णित संकल्प में प्रावधान किया गया है । यदि इससे आगे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी तो आयोग, शिकायतकर्ता से सम्पर्क करेगा ।

4. इस संकल्प के अन्तर्गत आयोग, **सोद्देश्य/तंग करने वाली शिकायतें देने वाले शिकायतकर्ताओं के विरूद्ध भी कार्रवाई** कर सकता है ।

5. विस्तृत अधिसूचना की एक प्रति आयोग की वेबसाईट **एचटीटीपी://डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीवीसी.एनआईसी.आईएन** पर उपलब्ध है ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग, आई.एन.ए, सतर्कता भवन, नई दिल्ली द्वारा जनहित में जारी ।

ह0/-

सचिव
केन्द्रीय सतर्कता आयोग